

राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद्

द्वितीय एवं चतुर्थ तल, ब्लॉक-5, शिक्षा संकुल परिसर,
जवाहरलाल नेहरू मार्ग, जयपुर - 17

फोन: 2708739

E-mail: rajssa.cce@gmail.com

फैक्स:- 2701822

क्रमांक : रास्कूलशिप/जय/SIQE/एबीएल/

/2018-19/ 594

दिनांक : 12/9/18

गतिविधि आधारित शिक्षण (Activity Based Learning) विद्यालयों/एस.एम.सी. हेतु दिशा-निर्देश 2018-19

मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार, शिक्षा विभाग राजस्थान सरकार के तत्वाधान में समस्त राजकीय विद्यालयों की कक्षा 1 से 5 तक के विद्यार्थियों के शैक्षिक स्तर के उन्नयन हेतु State Initiative for Quality Education (SIQE) के अन्तर्गत राज्य के विद्यालयों में सतत एवं व्यापक मूल्यांकन (CCE), बाल केन्द्रित शिक्षण (CCP) एवं गतिविधि आधारित अधिगम प्रक्रिया (ABL) का संचालन किया जा रहा है। इन गतिविधियों के क्रियान्वयन के तृतीय चरण में राज्य के 3097 आदर्श विद्यालय, जो द्वितीय चरण में चयनित किए गए हैं, की कक्षा 1 से 2 में गतिविधि आधारित अधिगम (ABL) द्वारा कक्षा-कक्षीय प्रक्रियाको रचनात्मक एवं नवीन शिक्षण विधा से शिक्षण कार्य किया जाना है।

राज्य में विभिन्न प्रयासों के माध्यम से 6-14 आयु वर्ग के बच्चों (बालक-बालिकाओं) के नामांकन, ठहराव तथा गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को सुनिश्चित करने के लिए सर्व शिक्षा अभियान प्रतिबद्ध है। निःशुल्क एवं बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम-2009 (RTE) की धारा-29 के अनुसार शिक्षण गतिविधि आधारित होना चाहिए। धारा-23 के अनुसार प्रत्येक बच्चे के पढ़ने के स्तर और गति का आकलन कर उसके आधार पर शिक्षण योजना तैयार कर तदनुसूचित शिक्षण कार्य करवाया जाए। इस दिशा में किए जा रहे प्रयासों में से एक प्रमुख प्रयास गतिविधि आधारित अधिगम (ABL) है। इस प्रक्रिया का मुख्य आधार यह है कि प्रत्येक बच्चा महत्वपूर्ण है एवं बच्चा अपने स्तर के अनुसार अपनी गति और रुचि से सीखता है। इसलिए बच्चे की सीखने की गति और इनके शैक्षिक स्तरानुसार गतिविधियों के माध्यम से सीखने सिखाने की प्रक्रिया की जाए तो बच्चे का सीखना सुनिश्चित होगा इस हेतु एनसीईआरटी, नई दिल्ली द्वारा कक्षा 1 से 8 हेतु कक्षावार अधिगम प्रतिफल (Learning Outcomes) का निर्धारण किया गया है।

उद्देश्य -

- प्राथमिक शिक्षा की नींव (कक्षा 1 व 2) को मजबूत करना।
- प्रत्येक बच्चे को कार्य करके सीखने के पर्याप्त अवसरों की उपलब्धता सुनिश्चित करना।
- बाल केन्द्रित शिक्षण (CCP) सुनिश्चित करना।
- कक्षा-कक्ष में बच्चों का ठहराव सुनिश्चित करना।
- गुणवत्तापूर्ण शिक्षण प्रक्रिया को सुनिश्चित करना।
- कक्षा कक्षीय प्रक्रिया को गतिविधि आधारित बनाना।

गतिविधि आधारित शिक्षण के प्रभावपूर्ण संचालन हेतु निम्नांकित कार्य किए जाने प्रस्तावित हैं-

1. गतिविधि कक्षा-कक्ष

गतिविधि आधारित शिक्षण के लिए विद्यालयों में कक्षा 1 व 2 के लिए Activity Room का विकास सर्व शिक्षा अभियान द्वारा प्राप्त वित्तीय मानदण्डों के अनुसार/विद्यालय प्रबन्ध समिति/स्थानीय जन सहयोग से प्राप्त राशि से कराया जाना है जो कि पूर्व में संचालित गतिविधि 'लहर' की तर्ज पर दिशा-निर्देश के अनुसार विकसित किया जाना है। इस हेतु विद्यालय में Activity Room लगभग 16'X20' की साईज/विद्यालय में उपलब्धता के आधार पर जिसमें 40-50 बच्चे बैठकर कार्य कर सकते हो, विकसित किया जाना है। (विशेष:- यदि विद्यालय का एबीएल के अन्तर्गत चयन किया गया है एवं वर्तमान में कक्षा-कक्ष उपलब्ध न हो तो ऐसी स्थिति में संस्थाप्रधान बीईईओ के माध्यम से डीपीसी कार्यालय को सूचना देवें।)

(1.1) कक्ष के विकास हेतु निम्नांकित कार्य कराए जाने हैं-


- बच्चों के लिए श्यामपट्ट - विद्यालय में कक्षा-कक्ष के अन्दर की तीन दीवारों (श्यामपट्ट वाली दीवार के अतिरिक्त) पर जमीन से 3 फीट तक की ऊंचाई पर ब्लैक बोर्ड पेन्ट कराया जाना है जिसमें 2'X3' के Box

594
12/9/18


को सफेद लाइन से विभक्त किया जाना है। श्याम पट्ट के दाहिनी दीवार हिन्दी, बांयी दीवार अंग्रेजी एवं सामने की दीवार गणित विषय की रखी जानी है।

- अंग्रेजी/हिन्दी के वर्णों/गणित के अंकों की पट्टी-श्यामपट्ट के ऊपर 4 या 6 इंच की पट्टी बनाई जाए जिसपर अंग्रेजी/हिन्दी वर्णमाला के वर्ण तथा गणित के अंक लिखवाए जाने है। हिन्दी वर्णों के साथ ही हिन्दी में प्रयुक्त मात्राएँ भी पट्टी में दर्शायी जावे।
- डॉट बोर्ड, बॉक्स बोर्ड -कक्षा-कक्ष में स्थाई श्यामपट्ट के दोनों ओर की दीवार पर 3'X3' के Box Board & Dot Board निम्नानुसार बनाए जाए जो बच्चों के अभ्यास कार्य करने में प्रयुक्त किया जाना है।

Box के नमूना-



Box Board



DotBoard

- डिस्पले बोर्ड - शिक्षक बोर्ड के दाईं/बाईं तरफ 4'X3' Size का डिस्पले बोर्ड लगाए जाने है जिन पर बच्चों द्वारा किए जाने वाले सृजनात्मक (क्रिएटिव) कार्य (नाव/जहाज/चिड़िया/पतंग/चित्र बनाना) को लगाया जावे जिससे अन्य बच्चों को प्रेरणा मिलेगी।
- कथाचित्र बोर्ड - कक्षा कक्ष में उपर्युक्त स्थान पर 2 अधूरे कथाचित्र बनाए जाए। कथाचित्र पुस्तक में दिए गए कथा चित्रों से अलग हो सकते है।
- आकृतियों के नाम व चित्र - विभिन्न प्रकार की आकृतियों जैसे त्रिभुज, चतुर्भुज, आयत आदि का चित्रण किया जावे।
- रंगों के नाम व चित्र - विभिन्न रंगों का परिचय कराने हेतु किसी एक आकार में विभिन्न रंगों को चित्रित करते हुए मय नाम के दीवार पर चार्ट के रूप में बनाया जाना है।

(कक्ष की दीवार हेतु रंगीन चित्र, संलग्नक परिशिष्ट-A पर)

(1.2) गतिविधि आधारित शिक्षण किट में उपयोग में ली जाने वाली सामग्री -

कक्षा 1 व 2 में बच्चे स्वयं गतिविधि करते हुए सक्रिय अधिगम कर सकें। इस हेतु विद्यालय को गतिविधि आधारित शिक्षण किट उपलब्ध कराई जा रही है जिसमें विषयवार निम्न सामग्री, अधिगम क्षेत्रानुसार उपलब्ध कराई गई है-

1. चार्ट
2. फ्लेश कार्ड - अंक, वर्ण, शब्द
3. गतिविधि कार्ड
4. चयनित एवं नियोजित गतिविधि अनुरूप सामग्री
5. विषयवार कार्यपत्रक

(1.3) शिक्षक/विद्यार्थी किट -

गतिविधि आधारित शिक्षण के दौरान कक्षा-कक्ष में कक्षा 1 एवं 2 के विद्यार्थियों के अभ्यास कार्य करवाने के लिए निम्नलिखित आवश्यक सामग्री के लिए 1000 रुपये की सामग्री एसएमसी/एसडीएमसी में प्रस्ताव लेकर क्रय की जानी है।

- पेन्सिल HB
- शापनर, रबर, स्कैच पैन, वाइडर विलप
- पेपर रिम सफेद एवं रंगीन
- पेन्सिल कलर
- क्रियॉन कलर

इस राशि का उपयोग केवल इसी कार्य में उपयोग के लिए ही राशि स्वीकृत की गई है। किसी अन्य गतिविधि में इस राशि का उपयोग नहीं किया जाए। साथ ही प्राप्त राशि के उपयोगिता प्रमाण पत्र विद्यालय स्तर से जिला कार्यालय को प्रेषित किया जाना है।

(1.4) चौकी - 4'X2½'X1' लकड़ी/बोर्ड/लोहे साईज की चार चौकी बनवाई जानी है, जिसका Top अच्छी गुणवत्ता का लगाए।

www.rajteachers.com

2. बजट प्रावधान-

गतिविधि आधारित कक्षा-कक्ष के विकास हेतु प्रति विद्यालय के लिए निम्नानुसार बजट प्रस्तावित है-

क्र.सं.	सामग्री	सामग्री की संख्या	अनुमानित कुल व्यय राशि	कार्य जिस स्तर से किया जाना है
1	ABL किट	*per school	6700	राप्राशिक्षण द्वारा विकसित, मुद्रण एवं वितरण कार्य निविदा / दर संविदा द्वारा आईटमवार स्वीकृत दरों के अनुसार वास्तविक व्यय एवं कायदेशि होगा।
A	योग		6700	
2	ए0बी0एल0 कक्ष को विकसित करने हेतु व्यय की जाने वाली संभावित व्यय राशि -			
2.1	डिस्पले बोर्ड (4' X 3')	1	900	SMC/SDMC
2.2	छोटी विद्यार्थी टेबल (चौकी) (4' X 2.5' X 1')	4	4000	
2.3	सामग्री एवं प्रोफाईल के लिए रैक	1	1000	
2.4	एबीएल कक्ष में वॉल पेन्टिंग (4 sides)	-	6500	
2.5	गतिविधि सामग्री के लिए प्लास्टिक बॉक्स	4	400	
2.6	स्टेशनरी सामग्री यथा पेपर, क्रेयान, पेन्सिल, कटर, रबर, स्केच, पेन, कार्ड शीट इत्यादि।	-	500	
B	योग		13300	
	सर्वयोग (A+B)		20000	

नोट:-यदि विद्यालय में क्र.सं. 2 से 5 तक की सामग्री उपलब्ध है तो राशि का उपयोग आवश्यकतानुसार प्राथमिकता से चौकी एवं डिस्पले बोर्ड की संख्या में वृद्धि करते हुए व्यय की जावे। राशि उक्त मदवार व्यय किया जाना है। जिसका आवश्यकतानुसार एसएमसी के माध्यम से विद्यालय स्तर पर राशि का समायोजन किया जा सकता है। राशि कम होने की स्थिति में स्थानीय भाभाशाहों का सहयोग लिया जाकर गतिविधि कक्ष अनिवार्य रूप से तैयार किया जाना है।

राशि का उपयोग किये जाने हेतु निम्न दिशा-निर्देशों की पालना अक्षरशः की जानी है-

1. जिला परियोजना कार्यालय द्वारा यह सुनिश्चित कर लिया जाये कि राशि का हस्तान्तरण द्वितीय चरण में चयनित 3097 आदर्श विद्यालयों को किया जावे। साथ ही यह सुनिश्चित करें कि यह विद्यालय वर्तमान में संचालित है। (जिलेवार/ब्लॉकवार विद्यालयों की सूची मय डाइस कोड परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।)
2. जिला कार्यालय द्वारा किसी भी स्थिति में ऐसे विद्यालय, जो किन्हीं कारणों से अस्तित्व में नहीं है अथवा जो वर्तमान समय में बन्द हो गये है, को राशि हस्तान्तरित नहीं की जानी है। अस्तित्वहीन/बन्द विद्यालयों को राशि जारी करने की स्थिति में वित्तीय अनियमितता की श्रेणी में आयेगी। इस स्थिति में जिला/ब्लॉक/पंचायत स्तर के अधिकारी व्यक्तिश स्वयं जिम्मेदार होंगे। यदि ऐसे विद्यालय संज्ञान में आते है तो जिला परियोजना कार्यालय द्वारा परिषद् के सीसीई/एसआईक्यूई प्रकोष्ठ को अविलम्ब दूरभाष एवं मेल पर सूचित करें।
3. जिलेवार भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य परिशिष्ट-2 पर संलग्न है।
4. जिला कार्यालय द्वारा गतिविधि कक्ष विकसित करने हेतु राशि का हस्तान्तरण सीधे ही चयनित समस्त विद्यालय की एसएमसी के खाते में दिनांक 15 सितम्बर, 2018 तक किया जायेगा। (राशि हस्तान्तरण का घोषणा पत्र परिशिष्ट-3 पर संलग्न है।)
5. जिला/ब्लॉक स्तर पर एबीएल गतिविधि के क्रियान्वयन हेतु डीपीसी की अध्यक्षता में एडीपीसी, एपीसी, बीईईओ, पीईईओ और एबीएल हेतु चयनित उत्कृष्ट एवं आदर्श विद्यालयों के संस्थाप्रधानों की संयुक्त बैठक 20 सितम्बर, 2018 से पूर्व करना सुनिश्चित करें। (सूचना संलग्न परिशिष्ट-4 के अनुसार बैठक के दिवस ही सीसीई प्रकोष्ठ को मेल भिजवाये)

6. जिला स्तर से अविलम्ब एसएमसी को राशि हस्तान्तरित की जा कर विद्यालयों में गतिविधि कक्ष का विकास का कार्य 15 अक्टूबर, 2018 तक करवाते हुए परिशिष्ट-5 पर संलग्न उपयोगिता प्रमाण-पत्र सम्बन्धित संस्था प्रधान पूर्ण कर ब्लॉक कार्यालय को उपलब्ध करवाएंगे।
7. बीईईओ/पीईईओ द्वारा एबीएल गतिविधि हेतु चयनित आदर्श विद्यालयों का अवलोकन कर दिनांक 20 अक्टूबर, 2018 तक संयुक्त हस्ताक्षरित निर्धारित घोषणा पत्र भरकर जिला कार्यालय को प्रेषित करेंगे। (संलग्न परिशिष्ट-6 के अनुसार)
8. जिला स्तर पर आयोजित संयुक्त बैठक में संस्था प्रधानों को परिषद् स्तर से जारी विस्तृत दिशा निर्देश तथा कक्ष के विकास हेतु सॉफ्ट/हार्ड (रंगीन) प्रति उपलब्ध करवाना सुनिश्चित करें, जिससे राज्य के सभी विद्यालयों में एकरूपता लाई जा सके। यह कार्य जिला कार्यालय में उपलब्ध प्रबंधन/प्रिंटिंग मद से सुनिश्चित किया जाए।
9. राशि का उपयोग चयनित विद्यालय की एसएमसी के माध्यम से संस्थाप्रधान द्वारा 5 सदस्यों की कमेटी बनाकर किया जाना है। कमेटी में कम से कम दो अभिभावक जिनमें से एक महिला को लिया जाना सुनिश्चित करें।
10. एसएमसी द्वारा क्रय की गई सामग्री को विद्यालय के स्टॉक रजिस्टर (स्थाई और अस्थाई) में प्रविष्ट कर उपयोग में ली जानी है।
11. ब्लॉक में चयनित विद्यालयों में उक्त कार्य की प्रभावी मॉनिटरिंग की सम्पूर्ण जिम्मेदारी बीईईओ/पीईईओ एवं डाइट ब्लॉक प्रभारी की होगी।
12. जिला एसएसए कार्यालय द्वारा समेकित घोषणा पत्र डीपीसी व एडीपीसी के संयुक्त हस्ताक्षरित पत्र 25 अक्टूबर, 2018 तक परिषद् के सीसीई प्रकोष्ठ को मेल के माध्यम से आवश्यक उपलब्ध करवाना सुनिश्चित करें। (संलग्न परिशिष्ट-7 के अनुसार)
13. जिला कार्यालय द्वारा समेकित उपयोगिता प्रमाण पत्र निर्धारित प्रारूप (परिशिष्ट-8) में परिषद् स्तर से राशि जारी करने की तिथि से कक्ष विकास एवं सहायक सामग्री क्रय पश्चात परिषद् को भिजवाना सुनिश्चित किया जावे।
14. विद्यालय में पूर्व में यदि लहर कक्ष अथवा अन्य कोई गतिविधि संचालित है तो राशि का उपयोग करते समय ध्यान में रखा जावे कि पूर्व में गतिविधि के समय खरीदी गई ट्रे, चौकी, डिस्पले बोर्ड आदि उपयोग में लिए जाने योग्य है तो उक्त मद की राशि से बच्चों के लिए शिक्षण हेतु सहायक सामग्री यथा क्रियाँ कलर, पेपर शीट, रंगीन पेपर रीम, चार्ट, पेंसिल आदि में उपयोग किया जावे।
15. 3097 आदर्श विद्यालयों में ए.बी.एल विकास आवश्यक सामग्री क्रय एवं एबीएल किट के विद्यालयों में पहुच सुनिश्चित करने के लिए डीपीसी एवं एडीपीसी समग्र शिक्षा अभियान संयुक्त रूप से उत्तरदायी होंगे।
16. जिन विद्यालयों में गतिविधि कक्ष विकसित किये जाने के लिए कक्ष उपलब्ध नहीं है वे बीईईओ के माध्यम से अविलम्ब सूचना डीपीसी/एडीपीसी, समग्र शिक्षा अभियान को भिजवायें।

संलग्न - उपरोक्तानुसार।

(शिवांगी स्वर्णकार)
राज्य परियोजना निदेशक


क्रमांक : रास्कूलशिप/जय/SIQE/एबीएल/2018-19/ 6363
प्रतिलिपि: निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है

दिनांक: 12/9/18

1. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, स्कूल एवं संस्कृत शिक्षा विभाग, जयपुर।
2. निजी सचिव, आयुक्त, राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद, जयपुर।
3. निजी सहायक, राज्य परियोजना निदेशक, जयपुर।
4. निजी सहायक, निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, बीकानेर।
5. निजी सहायक, निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, बीकानेर।
6. निजी सहायक, निदेशक, एससीईआरटी, उदयपुर।

www.rajteachers.com

7. निजी सहायक, अतिरिक्त राज्य परियोजना निदेशक, जयपुर।
8. जिला शिक्षा अधिकारी, प्रा0शि / मा0शि0, समस्त जिले।
9. समस्त प्राचार्य, डाइट।
10. अति0 जिला परियोजना समन्वयक, एसएसए / रमसा, समस्त जिले।
11. समस्त ब्लॉक प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी।
12. सम्बन्धित पदेन पंचायत प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी।
13. अध्यक्ष एसएमसी / संस्था प्रधान सम्बन्धित आदर्श विद्यालय।
14. रक्षित पत्रावली।


(डॉ. प्रिया ललराम शर्मा)
उपायुक्त -द्वितीय (एसआईक्यूई)

कार्यालय जिला परियोजना समन्वयक शमा शिक्षा
कोटा

क्रमांक :-

दिनांक :-

समस्त ब्लॉक प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी जिलाकोटा को मेपकट लेखते कि उपरलिखित निर्देशानुसार समस्त विद्यालयों में गति-विधि-साधारित शिक्षण प्रक्रिया से शिक्षण कराए जायें। विद्यालयों के संस्थापकों को निर्देशित कर आवश्यक मौनितरिण करना सुनिश्चित करें।



जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक शिक्षा एवं
पदेन जिला परियोजना समन्वयक
राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान, कोटा

(एबीएल गतिविधि संचालन हेतु एसएमसी को राशि हस्तान्तरण के सात दिवस में परिषद् को प्रेषित किया जाना है।)

कार्यालय जिला परियोजना समन्वयक सर्व शिक्षा अभियान,

राशि हस्तान्तरण घोषणा पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि वर्ष 2018-19 में एबीएल कार्यक्रम संचालन हेतु चयनित द्वितीय चरण के आदर्श विद्यालयों में गतिविधि संचालन हेतु गतिविधि कक्ष विकास, आवश्यक सामग्री क्रय बाबत रा.स्कू.शि.प., जयपुर से जिले को विद्यालयों के लिए प्रति विद्यालय 13,300 रुपये की दर से कुल राशि प्राप्त हुई है उक्त राशि में से जिले के विद्यालयों की एसएमसी को 13300 रुपये की दर से राशि दिनांक को हस्तान्तरित कर दी गई है।

उक्त राशि में से विद्यालयों की राशि रुपये शेष है।

हस्ताक्षर एडीपीसी

हस्ताक्षर डीपीसी

(एबीएल गतिविधि संचालन हेतु संयुक्त बैठक आयोजन की सूचना प्रपत्र बैठक दिवस को ही परिषद् को प्रेषित किया जाना है।)

कार्यालय जिला परियोजना समन्वयक, सर्व शिक्षा अभियान,

एबीएल गतिविधि संचालन हेतु संयुक्त बैठक आयोजन प्रपत्र

जिला

ब्लॉक

बैठक दिनांक

बैठक स्थल

क्र.सं.	पद नाम अधिकारी/संस्थाप्रधान	आमन्त्रित	उपस्थित	अनुपस्थिति का कारण (यदि ज्ञात हो तो)
1	डीपीसी एसएसए/रमसा			
2	एडीपीसी एसएसए/रमसा			
3	डाइट ब्लॉक प्रभारी			
4	बीईईओ			
5	पीईईओ			
6	एपीसी			
7	संस्थाप्रधान आदर्श विद्यालय			
8	अन्य			

बैठक प्रतिवेदन संलग्न करें।

हस्ताक्षर एडीपीसी
एसएसए

हस्ताक्षर एडीपीसी
रमसा

हस्ताक्षर डीपीसी
माध्यमिक शिक्षा

हस्ताक्षर डीपीसी
प्रारम्भिक शिक्षा

(एबीएल गतिविधि संचालन हेतु कक्ष के विकास एवं आवश्यक सामग्री खरीद के पश्चात् 15 अक्टूबर, 2018 तक ब्लॉक को प्रेषित किया जाना है।)

कार्यालय राजकीय आदर्श विद्यालय (द्वितीय चरण)

ब्लॉक जिला

उपयोगिता प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि समग्र शिक्षा अभियान की वार्षिक कार्ययोजना वर्ष 2018-19 के अनुसार विद्यालय में एबीएल गतिविधि संचालन हेतु गतिविधि कक्ष का विकास और आवश्यक सामग्री क्रय करने हेतु जिला परियोजना समन्वयक एसएसए, जिला से प्राप्त राशि 13300 रुपये दिनांक का उपयोग राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद्, जयपुर के द्वारा निर्धारित मानदण्डानुसार कर लिया गया है, विवरण निम्नानुसार है:-

क्र.सं.	बिल नं. / दिनांक	सामग्री/कार्य का विवरण	भुगतान की गई राशि	विशेष विवरण

प्रमाणित किया जाता है कि सामग्री की खरीद एसएमसी द्वारा कमेटी के माध्यम से की गई है।

हस्ताक्षर एसएमसी अध्यक्ष

हस्ताक्षर कमेटी सदस्य

हस्ताक्षर एसएमसी सचिव

(एबीएल गतिविधि संचालन हेतु ब्लॉक कार्यालय द्वारा जिले को प्रेषित किया जाने वाला घोषणा पत्र)

कार्यालय ब्लॉक सर्व शिक्षा अभियान, जिला

कक्ष विकास एवं अवलोकन का ब्लॉक द्वारा घोषणा पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि समग्र शिक्षा अभियान की वार्षिक कार्ययोजना 2018-19 के अनुसार जिला के ब्लॉक में चयनित विद्यालयों में एबीएल गतिविधि संचालन हेतु एबीएल कक्ष का विकास, आवश्यक सामग्री (यथा चौकियां, डिस्पले बोर्ड, रैक एवं प्लास्टिक बॉक्स आदि) राज0 स्कूल शिक्षा परिषद्, जयपुर के निर्देशानुसार क्रय कर लिया गया है। एबीएल गतिविधि संचालित विद्यालयों द्वारा खरीद सामग्री एवं विकसित कक्ष का हमारे द्वारा भौतिक सत्यापन कर लिया गया है।

हस्ताक्षर पीईईओ/संस्था प्रधान

हस्ताक्षर बीईईओ

(एबीएल गतिविधि संचालन हेतु जिला एसएसए कार्यालय द्वारा परिषद् को प्रेषित किया जाने वाला घोषणा पत्र)

कार्यालय जिला परियोजना समन्वयक, सर्व शिक्षा अभियान,

कक्ष विकास एवं अवलोकन का जिले द्वारा घोषणा पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि समग्र शिक्षा अभियान की वार्षिक कार्ययोजना 2018-19 के अनुसार जिले केचयनित विद्यालयों में एबीएल गतिविधि संचालन हेतु एबीएल कक्ष का विकास, आवश्यक सामग्री (यथा चौकियां, डिस्पले बोर्ड, बॉक्स आदि) राप्रशिप जयपुर के निर्देशानुसार क्रय कर लिया गया है। एबीएल गतिविधि संचालित विद्यालयों द्वारा खरीद सामग्री एवं विकसित कक्ष का जिला/ब्लॉक अधिकारियों द्वारा भौतिक सत्यापन कर लिया गया है।

हस्ताक्षर एडीपीसी

हस्ताक्षर डीपीसी

(एबीएल गतिविधि संचालन हेतु जिला एसएसए कार्यालय द्वारा परिषद् को प्रेषित किया जाने वाला उपयोगिता प्रमाण पत्र)

कार्यालय जिला परियोजना समन्वयक सर्व शिक्षा अभियान,

उपयोगिता प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि वर्ष 2018-19 में एबीएल गतिविधि संचालन हेतु चयनित द्वितीय चरण के आदर्श विद्यालयों में गतिविधि कक्ष विकास, आवश्यक सामग्री क्रय बाबत रा.स्कू.शि.प., जयपुर से जिले को प्रति विद्यालय 13300 रुपये की दर से कुल राशि प्राप्त हुई है। उक्त राशि में से एबीएल गतिविधि संचालन हेतु विद्यालयों की एसएमसी को 13,300 रुपये की दर से राशि दिनांक को जारी कर उपयोग कर लिया गया है।
उक्त प्राप्त कुल राशि में से विद्यालयों की राशि उपयोग नहीं किया जा सका है।

हस्ताक्षर एडीपीसी

हस्ताक्षर डीपीसी

Phase - II Adarsh Schools for ABL : 2018-19

SN	District	No. of Adarsh School (Phase-II)
1	AJMER	94
2	ALWAR	232
3	BANSWARA	51
4	BARAN	35
5	BARMER	84
6	BHARATPUR	120
7	BHILWARA	78
8	BIKANER	78
9	BUNDI	43
10	CHITTAURGARH	49
11	CHURU	142
12	DAUSA	107
13	DHAULPUR	55
14	DUNGARPUR	81
15	GANGANAGAR	96
16	HANUMANGARH	115
17	JAIPUR	289
18	JAISALMER	17
19	JALOR	56
20	JHALAWAR	37
21	JHUNJHUNUN	195
22	JODHPUR	126
23	KARALI	70
24	KOTA	44
25	NAGOUR	157
26	PALI	83
27	PRATAPGARH	28
28	RAJSAMAND	51
29	S.MADHOPUR	52
30	SIKAR	224
31	SIROHI	30
32	TONK	66
33	UDAIPUR	112
	Grand Total	3097

www.rajteachers.com